

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

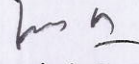
क्रमांक :- प.4(ई)(निप) अलेसे-III / लिंक नंबर -12572/2013/4784 दिनांक :- 02-12-2019

कार्यालय आदेश

श्री ज्ञान चंद मीणा कनि० लेखाकार लिंक नंबर -12572/2013 कार्यालय आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक- 28.09.2018 से 28.09.2018 तक (कुल 1 दिवस)

उक्त कुल 1 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री ज्ञान चंद मीणा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प.4(ई)(निप) अलेसे-III / लिंक नंबर-11161/2013/4784 दिनांक :- 02-12-2019

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक ।
3. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. श्री ज्ञान चंद मीणा कनि० लेखाकार लिंक नंबर-12572/2013 कार्यालय आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर
5. रक्षित पत्रावली ।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)